रजिस्टर्ड नं० HP/13/SML/2003.

हिमाचल प्रदेश

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, सोमवार, 8 मार्च, 2004/18 फाल्गुन, 1925

हिमाचल प्रदेश सरकार

कार्यालय उपायुक्त कुल्लू, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश

कारण बताओ नोटिस

कुल्लू, 10 फरवरी, 2004

संख्या : पी० सी० एच० (कु०)-कारण बताओ-216-20.—यह कि ग्राम पंचायत करशैईगाड के पारित प्रस्ताव संख्या-9 दिनांक 21-12-2003 अनुसार श्रीमती उर्मिला देवी प्रधान ग्राम पंचायत करशैईगाड दिनांक 21-11-03, 10-12-03, 21-12-03 तथा 7-1-04 को बिना सूचना दिये लगातार ग्राम पंचायत की चार बैठकों में अनुपस्थित रही है जिस कारण पंचायत के कार्यों तथा विकास कार्यों को चलाने मे बाधा उत्पन्न हुई है।

यह कि खण्ड विकास अधिकारी आनी ने अपने पत्र-संख्या 5851 दिनांक 20-1-04 में सूचित किया जाता है कि उक्त प्रस्ताव अनुसार पंचायत निरीक्षक आनी के माध्यम से रिकार्ड की छानबीन करने उपरान्त पाया गया कि श्रीमती उर्मिला देवी प्रधान ग्राम पंचायत करशैईगाड पंचायत की लगातार उपरोक्त चार बैठकों में बिना किसी पूर्व सूचना के अनुपस्थित रही है जिस कारण पंचायत के कार्यों तथा विकास कार्यों में भी बाधा उत्पन्न हुई है जिससे प्रतीत होता है कि वह प्रधान पद के कर्त्तव्यों को नियमानुसार निभाने में असफल रही है तथा उन द्वारा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 131(ख) की उल्लंघना की गई है।

अत: मैं, एच० आर० चौहान, उपायुक्त, जिला कुल्लू हि० प्र० पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 131(ख) के प्रावधान अनुसार उक्त श्रीमति उर्मिला देवी प्रधान, ग्राम पंचायत करशैईगाड को निर्देश देता हूं कि वह

इस कारण बताओ नोटिस के 15 दिनों के भीतर-भीतर लिखित रूप में अपना उत्तर खण्ड विकास अधिकारी के माध्यम से प्रस्तुत करें कि क्यों न उन्हे हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम के उक्त प्रावधान अनुसार ग्राम पंचायत करशैंईगाड के प्रधान पद को रिक्त घोषित कर दिया जाए। उनका उत्तर निर्धारित अवधि तक प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जायेगा कि उन्हें अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना है तदोपरान्त उनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

कुल्लू, 10 फरवरी, 2004

संख्या पी0 सी0 एच0 (कु0) कारण बताओ/221-25.—यह कि ग्राम पंचायत देउठी विकास खण्ड आनी के पारित प्रस्ताव संख्या-9 दिनांक 23-10-2003 के अनुसार श्रीमति उमदी देवी पंच वार्ड संख्या-5 दिनांक 7-6-2002, 22-7-02, 8-8-02, 24-8-02, 7-9-02, 23-9-02, 7-10-02, 23-10-02, 11-11-02, 23-11-02, 7-1-03, 23-1-03, 11-2-03, तथा 23-2-2003 को बिना सूचना दिए लगातार ग्राम पंचायत की बैठकों में अनुपस्थित है, जिस कारण पंचायत के कार्यों तथा विकास कार्यों को चलाने में बाधा उत्पन्न हुई है।

यह कि खण्ड विकास अधिकारी आनी ने अपने पत्र संख्या 5850 दिनांक 20-1-04 में सूचित किया है कि उक्त प्रस्ताव अनुसार पंचायत निरीक्षक आनी के माध्यक से रिकार्ड की छानबीन करने के उपरान्त पाया गया कि श्रीमती उमदी देवी पंच ग्राम पंचायत देउठी पंचायत की लगातार बैठकों में बिना किसी पूर्व सूचना के अनुपस्थित है किस कारण पंचायत के कार्यों तथा विकास कार्यों में भी बाधा उत्पन्न हुई है जिससे प्रतीत होता है कि वह अपने पद के कर्तव्यों को नियमानुसार निभाने में असफल रही है तथा उन द्वारा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 131 (ख) की उल्लघंना की गई है।

अतः मैं, एच0 आर0 चौहान, उपायुक्त, कुल्लू, जिला कुल्लू हि0 प्र0 पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 131 (ख) के प्रावधान अनुसार उक्त श्रीमती उमदी देवी पंच वार्ड संख्या-5 ग्राम पंचायत देवठी को निर्देश देता हूं कि वह इस कारण बताओ नोटिस के 15 दिनों के भीतर-भीतर लिखित रूप में अपना उत्तर खण्ड विकास अधिकारी के माध्यम से प्रस्तुत करें कि क्यों न उन्ह हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम के उक्त प्रावधान अनुसार ग्राम पंचायत देवठी के पंच पद को रिक्त घोषित कर दिया जाये। उनका उत्तर निर्धारित अवधि तक प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जायेगा कि उन्हें अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना है तदोपरान्त उनके विरुद्ध यक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

एच0 आर0 चौहान
उपायुक्त,
कुल्लू, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)।

कुल्लू, 10 फरवरी, 2004

संख्या पी0 सी0 एच0 (कु0) कारण बताओ/त्याग-पत्र-226-30.—एतद्द्वारा श्री सोहन लाल पंच वार्ड संख्या 7, ग्राम पंचायत करंजा, गांव गंजा, डाकघर करंजा, विकास खण्ड नगर, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश का ध्यान हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 122 के खण्ड (ण) की ओर आकृष्ट किया जाता है, जो निम्नतः है:

"(ण) यदि उसके दो से अधिक जीवित सन्तान है। परन्तु खण्ड (ण) के अधीन निरर्हता उस व्यक्ति को लागू नहीं होगी जिसके यथास्थिति हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2000 (अधिनियम 18, 2000) के प्रारम्भ होने की तारीख पर या ऐसे प्रारम्भ के एक वर्ष की अवधि के पश्चात् और सन्तान नहीं होती।"

अतः क्योंकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2000 (अधिनियम 8 जून, 2001 को लागू हो चुका है) तथा धारा 122 के खण्ड (ण) का प्रावधान 8 जून, 2001 से प्रभावी होता है अर्थात्

8 जून, 2001 के पश्चात् यदि किसी पंचायत पदाधिकारी के जिसके इस प्रावधान के लागू होने के पूर्व दो या दो से अधिक सन्तान है तथा उक्त प्रावधान लागू होने के पश्चात् अतिरिक्त सन्तानें या सन्तान उत्पन्न होती है तो वह पंचायती राज संस्था में पदासीन रहने के अयोग्य होगा ।

खण्ड विकास अधिकारी, नगर ने अपने पत्र संख्या 5222 दिनांक, 3-2-2004 द्वारा इस कार्यालय को सूचित किया है कि आपके 25-11-2002 को एक अतिरिक्त सन्तान उत्पन्न हुई है जिसका इन्द्राज पंचायत के जन्म पंजीकरण रजिस्टर के जन्म क्रमांक 38, दिनांक 6-12-2003 में दर्ज है जो आपकी तीसरी सन्तान है । जिसके फलस्वरूप आपकी सन्तान की संख्या दो से अधिक हो गई है जो कि पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 122 (ण) के अन्तर्गत वर्णित अयोग्यता में आता है ।

अत: आपको निर्देश दिये जाते हैं कि आप इस पत्र की प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर-भीतर लिखित रूप से अपना पक्ष प्रस्तुत करें कि उपरोक्त प्रावधान के दृष्टिगत क्यों न आपके विरुद्ध हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 131 (क) के अधीन कार्यवाही अमल में लाई जाये ।

कुल्लू, 10 फरवरी, 2004

संख्या पी0 सी0 एच0 (कु0) कारण बताओ/त्याग-पत्र-231-35.—एतद्द्वारा श्रीमती प्रेमलता, पंच वार्ड संख्या 4, ग्राम पंचायत काईस, गांव व डाकघर काईस, विकास खण्ड नगर, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश का ध्यान हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 122 के खण्ड (ण) की ओर आकृष्ट किया जाता है, जो निम्नत: है :

"(ण) यदि उसके दो से अधिक जीवित सन्तान है । परन्तु खण्ड (ण) के अधीन निरर्हता उस व्यक्ति को लागू नहीं होगी जिसके यथास्थिति हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2000 (अधिनियम 18, 2000) के प्रारम्भ होने की तारीख पर या ऐसे प्रारम्भ होने के एक वर्ष की अवधि के पश्चात् और सन्तान नहीं होती ।"

अत: क्योंकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2000 (अधिनियम 8 जून, 2001 को लागू हो चुका है तथा धारा 122 के खण्ड (ण) का प्रावधान 8 जून, 2001 से प्रभावी होता है अर्थात् 8 जून, 2001 के पश्चात् यदि किसी पंचायत पदाधिकारी के जिसके इस प्रावधान के लागू होने के पूर्व दो या दो से अधिक सन्तान हैं तथा उक्त प्रावधान लागू होने के पश्चात् अतिरिक्त सन्तानें या सन्तान उत्पन्न होती है तो वह पंचायती राज संस्था में पदासीन रहने के अयोग्य होगा ।

खण्ड विकास अधिकारी, नगर ने अपने पत्र संख्या 5222, दिनांक 3-2-2004 द्वारा इस कार्यालय को सूचित किया है कि आपके 15-9-2001 को एक अतिरिक्त सन्तान उत्पन्न हुई है जिसका इन्द्राज पंचायत के जन्म पंजीकरण रजिस्टर के जन्म क्रमांक 31, दिनांक 7-10-2001 में दर्ज है जो आपकी तीसरी सन्तान है । जिसके फलस्वरूप आपकी सन्तान की संख्या दो से अधिक हो गई है जो कि पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 122 (ण) के अन्तर्गत वर्णित अयोग्यता में आता है ।

अत: आपको निर्देश दिये जाते हैं कि आप इस पत्र की प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर-भीतर लिखित रूप में अपना पक्ष प्रस्तुत करें कि उपरोक्त प्रावधान के दृष्टिगत क्यों न आपके विरुद्ध हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 131 (क) के अधीन कार्यवाही अमल में लाई जाये ।

हस्ताक्षरित/-
उपायुक्त,
कुल्लू, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश ।

कार्यालय आदेश

कुल्लू, 11 फरवरी, 2004

संख्या पी0 सी0 एच0 (कु0) त्याग-पत्र-236-41.—यह कि खण्ड विकास अधिकारी, आनी ने अपने पत्र संख्या 5852, दिनांक 20-1-2004 में इस कार्यालय को सूचित किया है कि उनके विकास खण्ड की ग्राम पंचायत देवठी के वार्ड संख्या 2 की सदस्या श्रीमती सीता देवी ने तीसरी सन्तान उत्पन्न होने पर नैतिकता के आधार पर स्वेच्छा से दिनांक 4-1-2004 को अपने पद से त्याग-पत्र दिया है । जिसे स्वीकृत करने की सिफारिश की है ।

अतः मैं, एच0 आर0 चौहान, उपायुक्त, कुल्लू, जिला कुल्लू उन शक्तियों के अन्तर्गत जो मुझे हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 130 (1) पठित हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (सामान्य) नियम 135 के अन्तर्गत प्राप्त हैं श्रीमती सीता देवी सदस्या, ग्राम पंचायत देवठी द्वारा दिये गये त्याग-पत्र को उपरोक्त दर्शाई गई दिनांक से स्वीकृत करता हूं तथा ग्राम पंचायत देवठी के वार्ड संख्या 2 के पद को रिक्त घोषित करता हूं ।

कुल्लू, 11 फरवरी, 2004

संख्या पी0 सी0 एच0 (कु0) त्याग-पत्र-242-247.—यह कि खण्ड विकास अधिकारी, नगर ने अपने पत्र संख्या 5852, दिनांक 20-1-2004 में इस कार्यालय को सूचित किया है कि उनके विकास खण्ड की ग्राम पंचायत काईस के वार्ड संख्या 1 (सेउबाग) के सदस्य श्री हरि राम ने तीसरी सन्तान उत्पन्न होने पर नैतिकता के आधार पर स्वेच्छा से दिनांक 22-1-2004 को अपने पद से त्याग-पत्र दिया है । जिसे स्वीकृत करने की सिफारिश की है ।

अतः मैं, एच0 आर0 चौहान, उपायुक्त, कुल्लू, जिला कुल्लू उन शक्तियों के अन्तर्गत जो मुझे हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 130 (1) पठित हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (सामान्य) नियम 135 के अन्तर्गत प्राप्त हैं श्री हरि राम सदस्य, ग्राम पंचायत काईस द्वारा दिये गये त्याग-पत्र को उपरोक्त दर्शाई गई दिनांक से स्वीकृत करता हूं तथा ग्राम पंचायत काईस के वार्ड संख्या 1 के पंच पद को रिक्त घोषित करता हूं ।

कुल्लू, 11 फरवरी, 2004

संख्या पी0 सी0 एच0 (कु0) त्याग-पत्र/रिक्त स्थान-248-52.—यह कि खण्ड विकास अधिकारी, नगर ने अपने पत्र संख्या 5223, दिनांक 3-2-2004 में सूचित किया है कि उनके विकास खण्ड की ग्राम पंचायत जाणा के वार्ड संख्या 5 (खड़ीवेहड़) से निर्वाचित पंच श्री ध्यान सिंह की दिनांक 31-12-2003 को मृत्यु हो जाने के कारण ग्राम पंचायत जाणा के वार्ड संख्या 5 (खड़ीवेहड़) में पंच पद रिक्त हो गया है । जिनकी पुष्टि ग्राम पंचायत जाणा के प्रस्ताव संख्या 4, दिनांक 12-1-2004 में की गई है ।

अतः मैं, एच0 आर0 चौहान, उपायुक्त, कुल्लू, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 131 (2) व (4) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, ग्राम पंचायत जाणा, विकास खण्ड नगर में उक्त पद को उपरोक्त दर्शाई गई दिनांक से रिक्त घोषित करता हूं ।

एच0 आर0 चौहान,
उपायुक्त,
कुल्लू, जिला कुल्लू (हि0 प्र0) ।

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित